प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना साइबर क्राइम दिनाँक 03.01.2026

थाना साइबर क्राइम बागपत पुलिस टीम ने व्हॉट्सऐप हैक कर साइबर ठगी करने वाले 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से 01 मोबाइल फोन, 01 आधार कार्ड, 06 पैन कार्ड, 01 ड्राईविंग लाईसेन्स, 01 वोटर आईडी कार्ड, 04 बैंक पासबुक, 01 चैक, 12 डेबिट कार्ड, 01 अन्य कार्ड व अन्य दस्तावेज बरामद।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 04.11.2025 को थाना साइबर क्राइम बागपत पर वादी रोबिन पुत्र राजकुमार निवासी कस्बा व थाना खेकड़ा जनपद बागपत द्वारा एक शिकायती प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया, जिसमें यह उल्लेख किया गया कि किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा वादी का व्हाट्सऐप अकाउंट हैक कर लिया गया तथा उक्त हैकिंग के माध्यम से वादी के साथ कुल ₹1,00,000/- (एक लाख रुपये) की धोखाधड़ी की गई। इस संबंध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना साइबर क्राइम पर मु0अ0सं0- 40/2025 धारा 318(4) BNS व 66(D) IT Act पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही-

श्रीमान पुलिस अधीक्षक बागपत के निर्देशन में बागपत पुलिस जनपद में साइबर अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना साइबर क्राइम बागपत पुलिस टीम द्वारा थाना साइबर क्राइम जनपद बागपत पुलिस टीम द्वारा व्हॉट्सऐप हैक कर साइबर ठगी करने वाले 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है, जिसके कब्जे से 01 मोबाइल फोन, 01 आधार कार्ड, 06 पैन कार्ड, 01 ड्राईविंग लाईसेन्स,01 वोटर आईडी कार्ड, 04 बैंक पासबुक, 01 चैक, 12 डेबिट कार्ड, 01 अन्य कार्ड व अन्य दस्तावेज बरामद हुए हैं।

नोट - अभियुक्त के बैंक खातों के संबंध में एनसीआरपी शिकायत संख्या 23309250006628 छत्तीसगढ़ राज्य से तथा एक अन्य एनसीआरपी शिकायत संख्या 30809250078424 दिल्ली से दर्ज पाई गई है। उक्त शिकायतों में दर्शाई गई साइबर धोखाधड़ी की कुल धनराशि लगभग ₹1,30,00,000/- (एक करोड़ तीस लाख रुपये) है।

बरामदगी का विवरण:- पकड़े गए अभियुक्त से नीचे दिए गए इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य व साइबर अपराध में प्रयुक्त उपकरण बरामद हुए हैं।

- **01 मोबाइल फोन,**
- **01 आधार कार्ड,**
- **06 पैन कार्ड,**
- **01 ड्राईविंग लाईसेन्स,**
- **01 वोटर आईडी कार्ड,**
- **04 बैंक पासबुक,**
- **01 चैक,**
- **12 डेबिट कार्ड,**
- **01 अन्य कार्ड व**
- **अन्य दस्तावेज**

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता -

सावेज पुत्र साकिव हसन निवासी ग्राम असारा थाना रमाला जनपद बागपत।

पूछताछ का विवरण-

गिरफ्तार अभियुक्त ने पूछताछ पर बताया कि वह मेडिकल क्षेत्र में बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी (BPT) की पढ़ाई कर रहा है, वहीं से उसने अपने अन्य दो साथियों के साथ मिलकर यूट्यूब के माध्यम से साइबर फ्राड करना सीखा। इसके उपरान्त अभियुक्तों द्वारा लोगों के व्हाट्सऐप अकाउंट हैक कर तथा अन्य तरीकों से उनके मोबाइल फोन का एक्सेस प्राप्त कर उनके यूपीआई आदि का दुरुपयोग करते हुए साइबर धोखाधड़ी की जाती थी। अभियुक्त ने यह भी बताया कि पिछले वर्ष अभियुक्तगण द्वारा लगभग ₹ 02 करोड़ (दो करोड़ रुपये) की साइबर धोखाधड़ी की गई, जिसकी धनराशि आपस में बांट ली गई थी।।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. निरीक्षक दीक्षित कुमार त्यागी, थाना प्रभारी साइबर क्राइम, बागपत।
2. निरीक्षक सन्तशरण सिंह, थाना साइबर क्राइम, बागपत।
3. उ0नि0 नरेश पाल सिंह, थाना साइबर क्राइम, बागपत।
4. उ0नि0 राघवेन्द्र कुमार, थाना साइबर क्राइम, बागपत।
5. है0 का0 639 दीपक कुमार, थाना साइबर क्राइम, बागपत।
6. है0 का0 640 उमेश वर्मा, थाना साइबर क्राइम, बागपत।
7. का0 464 ललिक कुमार, थाना साइबर क्राइम, बागपत।

प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना खेकडा **दिनाँक 03.01.26**

थाना खेकडा पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 01/26 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट में वाछिंत 02 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना खेकडा पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 001/26 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट में वांछित 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है।

उपरोक्त गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना खेकडा पर आवशयक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता-

1-आसिफ पुत्र आस मौहम्मद नि0 नया बस अड्डा कस्बा रटौल थाना खेकडा जनपद बागपत।

2-सुहैल पुत्र पप्पल यामीन नि0 मैन बाजार कस्बा रटौल थाना खेकडा जनपद बागपत।

गिरफ्तार अभियुक्त आसिफ का आपरिधिक इतिहास-

1-मु0अ0सं0 390/25 धारा 303(2)317(2) बीएनएस थाना खेकडा बागपत।

2-मु0अ0सं0 393/25 धारा 303(2)317(2) बीएनएस थाना खेकडा बागपत।

3-मु0अ0सं0 001/26 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना खेकडा बागपत।

गिरफ्तार अभियुक्त सुहैल का आपरिधिक इतिहास-

1-मु0अ0सं0 390/25 धारा 303(2),317(2) बीएनएस थाना खेकडा बागपत।

2-मु0अ0सं0 393/25 धारा 303(2),317(2) बीएनएस थाना खेकडा बागपत।

3-मु0अ0सं0 001/26 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना खेकडा बागपत।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-व0उ0नि0 श्री सागर सिंह थाना खेकडा जनपद बागपत।

2-है0का0 440 राशिद थाना खेकडा जनपद बागपत।

3-है0का0 489 सुनील कुमार थाना खेकडा जनपद बागपत।